भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1992
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के तहत रिहाई के पात्र विचारधीन कैदीज

1992 श्री विवके के. तन्खा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देशभर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के तहत रिहाई के पात्र विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है;

(ग) अब तक वास्तव में रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है; और

(घ) शेष पात्र विचाराधीन कैदियों की रिहाई में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए कारागार संबंधी आंकड़ों का संकलन करता है और उन्हें प्रतिवर्ष अपनी प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 की स्थिति के अनुसार देश में 3,71,440 विचाराधीन कैदी थे।

(ख) और (ग): नवीनतम प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479/ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-ए के प्रावधानों के अंतर्गत 968 विचाराधीन कैदी रिहाई के लिए पात्र थे, जिनमें से 627 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1992, दिनांक 05.08.2026

(घ): "कारागार/उनमें निरुद्ध व्यक्ति" संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। कारागारों तथा कैदियों का प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र विचाराधीन कैदियों की समयबद्ध रिहाई सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। धारा 479 के अंतर्गत पात्र विचाराधीन कैदियों की रिहाई में विलंब के संबंध में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गृह मंत्रालय को कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किया गया है।
